दिनांक	आज्ञा पत्र
3.7.24	पत्रावली पेश। वकील उत्तरदाता [illegible] बाबत बहस दिनांक 18.7.24 को पेश हो [illegible]
18.7.24	पत्रावली पेश। वकील उत्तरदाता [illegible] बाबत बहस दिनांक 2.8.24 को पेश हो [illegible]
2.8.24	पत्रावली पेश। वकील उत्तरदाता [illegible] बाबत बहस दिनांक 22.8.24 को पेश हो [illegible]
22.8.24	पत्रावली पेश। वकील उत्तरदाता [illegible] बाबत बहस दिनांक 2.9.24 को पेश हो [illegible]
2.9.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली बाद आदेश दिनांक — 10.9.24 को पेश हो [illegible]
10.9.24	पत्रावली पेश [illegible] निर्णय [illegible] [illegible] लिखाया जा [illegible] पत्रावली [illegible] 19.9.24 को पेश हो [illegible]
19.9.24	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट....[illegible]............ की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [illegible] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 73/2021

1 नारायणराम पुत्र श्री चौथूराम जाति जाट निवासी नेठवा तहसील रामगढ़ सेठान जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 रामचन्द्र पुत्र श्री किशनाराम
2 डालूराम पुत्र श्री किशनाराम
3 मूंगाराम पुत्र श्री किशनाराम
4 चुन्नी देवी पत्नी श्री किशनाराम
5 नौरंगलाल पुत्र श्री बेगाराम
6 नारायण पुत्र श्री बेगाराम
7 धन्नाराम पुत्र श्री बेगाराम
8 केशाराम पुत्र श्री बेगाराम
9 जीवणी पत्नी श्री बेगाराम
10 भंवरलाल पुत्र श्री लादूराम
11 मामराज पुत्र श्री लादूराम
12 भागीरथमल पुत्र श्री लादूराम
13 शान्ति देवी पत्नी लादूराम

समस्त जाति जाट निवासी नेठवा तहसील रामगढ़ सेठान जिला सीकर राज.

रेस्पोडेन्ट/वादीगण

14 मेधाराम पुत्र श्री खरताराम मृतक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15 रामलाल मृतक
16 ताराचन्द पुत्र रामलाल
17 हनुमान पुत्र रामलाल
18 तारामणी बेवाह रामलाल
19 हीरालाल पुत्र मेघाराम
20 केशाराम पुत्र मेघराम
21 संतोष पुत्री मेघाराम (नाम हजफ)
22 नौरंगलाल पुत्र पेमाराम
23 सांवरमल पुत्र पेमाराम
24 फूली देवी पत्नी चौथूराम (नाम हजफ)
25 शाखा प्रबन्धक शेखावाटी ग्रामीण वर्तमान बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ढाढण
26 शाखा प्रबंधक देना बैंक, शाखा रामगढ़ शेखावाटी
27 शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रामगढ़ शेखावाटी
28 उप पंजीयक रामगढ़ शेखावाटी
29 तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी
30 जिलाधीश महोदय, सीकर।

रेस्पोडेन्ट / प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री श्रीमती सुप्रिया
आरएएस उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी
वाद अनुवानी रामचन्द्र बनाम मेघाराम आदि वाद
संख्या 155 / 2013 निर्णय दिनांक 09.09.2021
अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भवानी सिंह धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरफूल सिंह खीचड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 19.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 155/2013 में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 222, 226, 238 वाके ग्राम नेठवा तहसील रामगढ़ शेखावाटी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादी वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट/वादीगण संख्या 1 लगायत 13 द्वारा प्रस्तुत वाद में विवादित भूमि खसरा नम्बर 238 रकबा 0.86 हैक्टेयर को वाद–पत्र की मद संख्या 4 में उल्लेखित कथनों के मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की पैत्रिक अविभाजित काश्त भूमि बताया है। विवादित भूमि कोई पैत्रिक भूमि नहीं है, जिसकी खातेदारी मृतक खरताराम बड़ा पुत्र होने के आधार पर उसके अकेले के नाम से दर्ज हो गयी, गलत है, बल्कि वास्तविक स्थिति यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के वक्त जिस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

काश्तकार का काश्त भूमि पर कब्जा काश्त था, उनके नाम खातेदारी दर्ज की गयी, राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2016 तक खसरा नम्बर 238 का खातेदारी व काश्त खरता पुत्र देवा व पेमा, मेघा पुत्र खरता के दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 2014 में काश्त खसरा नम्बर 238 में खरता का दर्ज है, उक्त राजस्व रिकार्ड के मुताबिक वादीगण का कथन विवादित भूमि पैत्रिक स्वतः ही झूठ साबित है क्योंकि उक्त काश्तकारी अधिनियम लागु होते समय वादीगण के पूर्वज दूदाराम का कोई कब्जा काश्त मुताबिक जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी कृषि भूमि खसरा नम्बर 238 पर नही था, बल्कि राजस्व रिकार्ड के मुताबिक विवादित भूमि पर कब्जा काश्त खरता, पेमा व मेघा था, जिसके आधार पर ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी में खरता, पेमा व मेघा के नाम से दर्ज है। विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि के जमाबन्दी 2011 से 2014 के कालम 40 में खरता व दूदा पिता देवा अंकित होना उल्लेखित किया है। जमाबन्दी में 40 कालम होते ही नहीं है, खसरा गिरदावरी में आवश्य 40 कालम होते है अगर खसरा गिरदावरी में कोई नाम अंकित नहीं है, फिर भी नाम अंकित हो भी गया तो उक्त नाम अंकन होने से कोई खातेदारी अधिकारी नहीं प्राप्त होता है। विचारण न्यायालय में खरता व दूदा के किसी प्रकार के राजस्व रिकार्ड के मुताबिक भाई होने के संबंध में किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य न होने के बावजूद मौखिक कथनों के आधार पर खरता को दूदा का भाई होना मानकर विवादित भूमि में उक्त दूदा के वारिसान का 1/2 हिस्सा मानने में भारी भूल की है। विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद के दौरान प्रतिवादी संख्या 5 फुली देवी की मृत्यु हो गयी, इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 संतोष की मृत्यु हो गयी, जिनकी वादिया द्वारा कायम मुकाम की कोई कार्यवाही नहीं की गयी, बल्कि नाम हजफ करवाया गया, जिसके कारण उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध कानूनन वाद डिक्री नहीं किया जा सकता, वादीगण का वाद मृतक प्रतिवादीगण के विरूद्ध कायम मुकाम न बनाये जाने के कारण खारिज किया जाना चाहिये था। वादीगण ने वाद में अपने आप ने दूदाराम के वारिसान

भू-प्रबंन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बताये है, उक्त दूदाराम ने अपनी मृत्यु से पूर्व तथा मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान किशनाराम, बेगाराम, लादूराम ने अपने जीवन काल में उनको मिलने वाले अधिकारों के लिए कार्यवाही नहीं की, जिसके वादीगण के वारिसान द्वारा अपने अधिकारों के लिए कोई कार्यवाही न किये जाने से त्याग मानी जावेगी, वादीगण उनके ही अधिकार व वारिस है, जिसके त्याग अधिकारों के लिए वादीगण किसी प्रकार की कार्यवाही न करने में सक्षम न होने के बावजूद विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि नकल जमाबंदी संवत 2011–14, 2025–28, 2029–32, 2015–18 के अनुसार विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है नकल जमाबन्दी सम्वत 2011–14 जिसके कॉलम संख्या 40 में खरता व दूदा पिता देवा जाट सा. देह दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण देवाराम के वंशज है। विवादित आराजी पैतृक आराजी है। अतः देवाराम की सम्पत्ति में से वादीगण 1/2 हिस्से के हकदार है। शपथ पत्र एवं जिरह में प्रतिवादी संख्या 04 नारायणराम ने कहीं भी यह इनकार नहीं किया है कि दूदाराम, खरताराम का भाई नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान को भी प्रतिवादी संख्या 04 ने गलत नहीं बताया है। वादीगण व प्रतिवादीगण देवाराम के वारिसान है। विवादित आराजी पैतृक आराजी है, जिसमें देवाराम के दोनों पुत्र खरताराम व दूदाराम के वारिसान का हक हिस्सा बनता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर दावा डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय ने विवादित भूमि के जमाबन्दी 2011 से 2014 के कालम 40 में खरता व दूदा पिता देवा अंकित होना उल्लेखित किया है। जमाबन्दी में 40 कालम होते ही नहीं है, खसरा गिरदावरी में आवश्य 40 कालम होते है अगर खसरा गिरदावरी में कोई नाम अंकित नहीं है, फिर भी नाम अंकित हो भी गया तो उक्त नाम अंकन होने से कोई खातेदारी अधिकारी नहीं प्राप्त होता है। विचारण न्यायालय में खरता व दूदा के किसी प्रकार के राजस्व रिकार्ड के मुताबिक भाई होने के संबंध में किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य न होने के बावजूद मौखिक कथनों के आधार पर खरता को दूदा का भाई होना मानकर विवादित भूमि में उक्त दूदा के वारिसान का 1/2 हिस्सा मानने में विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद के दौरान प्रतिवादी संख्या 5 फुली देवी की मृत्यु हो गयी, इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 संतोष की मृत्यु हो गयी, जिनकी वादिया द्वारा कायम मुकाम की कोई कार्यवाही नहीं की गयी, बल्कि नाम हजफ करवाया गया, जिसके कारण उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध कानूनन वाद डिक्री नहीं किया जा सकता, वादीगण का वाद मृतक प्रतिवादीगण के विरूद्ध कायम मुकाम न बनाये जाने के कारण खारिज किया जाना चाहिये था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर मृत पक्षकारों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 19.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर